राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 64/2014/अलवर
2.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 65/2014/अलवर
3.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 66/2014/अलवर
4.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 67/2014/अलवर

मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
बहरोड, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान जोन–तृतीय,जयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.05.2014

निर्णय

उपरोक्त चारों विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिनमें राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 541,542, 543 व 544/2014 जिला अलवर निर्णय दिनांक 31.01.2013 में सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–जोन तृतीय,जयुपर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम,2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि क्रमशः रू. 17,07,65,100/–, रू.17,32,45,200/–, रू. 14,88,82,000/–व रू. 3,42,20,800/– की वसूली पर, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, आदेश दिनांक 31.01.2013 की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमा प्रस्तुत करने की दशा में, 2 माह के लिए रोक लगायी गयी थी। चारों विविध प्रार्थना पत्रों में एक ही बिन्दु विवादित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 541,542,543 व 544/2014/अलवर में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि क्रमशः रू. 17,07,65,100/–, रू.17,32,45,200/–, रू. 14,88,82,000/–व रू. 3,42,20,800/– की वसूली पर, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, आदेश दिनांक 31.01.2013 की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमा प्रस्तुत करने की दशा में, 2 माह के लिए रोक लगायी गयी थी। अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त विविधि प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि शास्तियों की मात्रा के आधार पर जमानत देने का प्रयास कर रहा है,इसलिए जमानत (surety bond) पेश करने के लिए दो माह का और समय प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों की वसूली पर दो माह के लिए स्थगन इस शर्त दिया गया कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके सन्तोष के अनुरूप जमानत पेश करेगा, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अब तक खण्डपीठ के आदेश की पालना में जमा पेश नही नहीं की गई है,इसलिए जमानत पेश करने हेत समयावधि बढाने का निवेदन व्यवहारिक नहीं है।

उभय पक्षों की बहस की पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के समय दिये गये तर्को पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में यह पीठ अनुभव करती है कि व्यवहारी को जमानत पेश करने हेतु और समय दिया जाना समीचीन होगा । अतः चारों विविधि प्रार्थना स्वीकार करते हुए खण्डपीठ द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि क्रमशः रू. 17,07,65,100/–, रू.17,32,45,200/–, रू. 14,88,82,000/–व रू. 3,42,20,800/– की वसूली स्थगत किये जाने के सम्बन्ध में जमा पेश करने की अवधि इस आदेश की प्राप्ति से एक माह के लिए बढायी जाती है।

विविध प्रार्थना पत्रों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(जे.आर. लोहिया)
सदस्य
19/5/17